

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)पीठासीन अधिकारी:—सुमन देवी
(आर.ए.एस.)दावा बाबत खाता विभाजनप्राथमिक डिक्री

मुकदमा नम्बर :—83/2025 (सतीश बनाम चम्पा देवी वगै0)

निर्णय दिनांक :—26.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.11.2025 निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम चुडैला की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 317/677, 584, 585, 585/736, 585/749, 586, 587 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 4.08 है0 भूमि में वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिसाऊ को 1000/- रूपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादीगण द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार बिसाऊ को तहरीर जारी हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.11.2025 को जारी की गई।



(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,

मलसीसर